

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-334

दिनांक: 28/11/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की
बैठक 41.वीं दिनांक 13/11/2002 का कार्यवाही
विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं० 41.वीं
दिनांक 13/11/2002 प्रातः/सं० 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया
जा रहा है।

भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
9. अति. आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 41वीं बैठक दिनांक 13-11-2002 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रकरणों पर भी विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया:-

1- विषय:- कालवाड रोड ओर निवारू रोड के बीच के सैक्टर प्लान के अनुमोदन के संबंध में(जोन सी-1):-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्लानर्स ब्यूरो द्वारा निवारू रोड, कालवाड रोड, 200 फिट चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे, प्रस्तावित 200 फिट चौड़ा रोड के मध्य क्षेत्र का सैक्टर प्लान तैयार किया गया तथा प्लानर्स ब्यूरो के कन्सल्टेन्ट श्री ए.के. गुप्ता द्वारा सैक्टर प्लान के प्रस्तावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

कालवाड रोड के उत्तर में मास्टर विकास योजना 2011 में लगभग 1300 फिट चौड़ाई में व्यावसायिक उपयोग प्रस्तावित किया गया था जिसके उत्तर में 100 फिट चौड़ी रोड प्रस्तावित की गयी थी तथा इस सड़क के उत्तर का क्षेत्र आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित है। चूंकि अब इस व्यावसायिक उपयोग के स्थान पर सहकारी समितियों द्वारा आवासीय योजनाएं प्रस्तावित कर दी गयी है। अतः व्यावसायिक भू उपयोग के स्थान पर आवासीय उपयोग स्वीकृत किया गया एवं इसके संदर्भ में प्रस्तावित 100 फिट चौड़ी सड़क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार निवारू रोड के दक्षिण में लगभग 1000 फिट चौड़ाई का क्षेत्र पब्लिक यूटिलिटी हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा उसके दक्षिण में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के मध्य 100 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गयी थी। इस क्षेत्र में भी सहकारी समितियों द्वारा आवासीय योजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है। अतः निर्णय लिया गया कि इस पब्लिक यूटिलिटी क्षेत्र के स्थान पर आवासीय उपयोग ही स्वीकृत किया जाये। साथ ही इसके अनुसरण में भी प्रस्तावित 100 फिट चौड़ी सड़क को समाप्त किया गया।

चूंकि सैक्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों को मास्टर विकास योजना 2011 में सड़कों की स्थिति, प्रस्तावित योजनाओं में सड़कों की स्थिति एवं मौके पर हुए निर्माण को देखते हुए प्रस्तावित की गयी है, अतः सैक्टर प्लान को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

2- विषय:- सीकर रोड एवं बाईपास के पश्चिम एवं रीगस रेल्वे लाईन के पूर्व की ओर के क्षेत्र के सैक्टर प्लान के अनुमोदन के संबंध में(जोन बी-3):-

उपरोक्त सैक्टर प्लान जिसकी सीमाएं उत्तर में लोहामण्डी का क्षेत्र, पूर्व में सीकर रोड, दक्षिण में 200 फिट चौड़ा एक्सप्रेस हाईवे एवं पश्चिम में रीगस रेल्वे लाईन है, जोन बी-3 की सहायता से तैयार किया गया। यह सैक्टर प्लान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा जिस पर समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

उपरोक्त क्षेत्र का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 में होलसेल मार्केट, रिटेल व्यावसायिक, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय, विशेष प्रकार के व्यावसायिक उपयोग एवं आवासीय उपयोग हेतु दर्शाया है। चूंकि इस क्षेत्र में आवासीय से भिन्न उपयोग के लिए आरक्षित भूमि पर भी सहकारी समितियों द्वारा योजना सृजित की गयी है तथा भूखण्डों में काफी निर्माण कार्य भी हो चुका है। अतः आवासीय से भिन्न भू उपयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा इन भू उपयोगों को विभाजित करने वाली 200 फिट एवं 100 फिट चौड़ी सड़कों को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया क्योंकि मौके पर अब इन सड़कों का मास्टर विकास योजना 2011 के



अनुसार प्रस्तावित एलाइन्मेंट भी सम्भव नहीं है। समिति द्वारा उत्तर दिशा में प्रस्तावित 200 फिट चौड़ी सडक जो निवारू रोड होते हुए कालवाड रोड एवं अजमेर रोड को मिलाती है उसको यथावत रखने का निर्णय लिया साथ ही इसको सीकर रोड से 200 फिट चौड़ाई की सडक द्वारा मिलाने का निर्णय लिया गया जिसके लिए 100 फिट चौड़ी सम्पर्क सडक को 200 फिट किया जाये तथा इसके संशोधित एलाइन्मेंट को जयपुर विकास आयुक्त के निर्णय के अनुरूप रखा जाये। लोहामण्डी के विस्तार हेतु क्षेत्र के दक्षिण में बालाजी शिक्षा समिति के क्षेत्र को प्रस्तावित 200 फिट चौड़ी सडक दो भागों में विभक्त करती है तथा इसके पूर्व भाग में निर्माण कार्य भी हो चुका है अतः निर्णय लिया गया कि इस 200 फिट चौड़ी सडक को बालाजी शिक्षा समिति के क्षेत्र के पास से आंशिक रूप से संशोधित करते हुए रेल्वे लाईन के समानान्तर प्रस्तावित 100 फिट चौड़ी सडक से मिलाया जाये तथा यह संशोधित एलाइन्मेंट जयपुर विकास आयुक्त के निर्णय के अनुरूप रखा जाये।

सैक्टर में प्रस्तावित अन्य 100 फिट, 80 फिट व 60 फिट चौड़ी सडक के मौके की स्थिति एवं मौके पर हुए निर्माण को कम से कम हटाने की स्थिति रखने के अनुरूप ही प्रस्तावित की गयी है। अतः प्रस्तावित सैक्टर प्लान को उपरोक्त संशोधनों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...41.वीं... बैठक दिनांक...13-11-02
का कार्यवाही विवरण।

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | निजी खातेदार श्री प्रकाश चन्द्र एवं अन्य |
| 2. | योजना का नाम | : केशवानन्द |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं० | : जयपुरा ख.नं. 253 से 256, 240 से 246, 356/1, |
| 4. | सैक्टर नंबर सी-2 | : 357-358/1 |

विषय:- निजी खातेदार श्री प्रकाश चन्द्र एवं अन्य की योजना केशवानन्द आवासीय योजना अनुमोदन के संबंध में ।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-

- 1- योजना के अन्दर आई.ओ.पी. की पाइप लाईन गुजर रही है । इसलिए पाइप लाईन को निर्धारित 60-0" चौड़ी भू-पट्टी को पार्क क्षेत्र तथा पाइप लाईन के दोनों साइडों में 30-30 फीट चौड़ी सड़क दर्शायी जावे ।
- 2- पाइप लाईन के पूर्व में दर्शाये गये लिटी एरिया को दो साइड की दुकानों संशोधित कर सुविधा क्षेत्र सड़क को ओर खुला छोड़ा जाएगा ।
- 3- मास्टर विकास योजना 2011 में इस भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...4.1.ब्री... बैठक दिनांक...13-11-02
का कार्यवाही विवरण।

- | | |
|--|------------------------|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | निजी खातेदार |
| 2. योजना का नाम | शिव आफोसर्स कॉलोनी |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं० | जयपुरा, तहसील सांगानेर |
| 4. सैक्टर नंबर | सी-2 |

विषय:- राजस्व ग्राम श्री गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 168, 169, 170, 171, 172, 263, 137, 140, 141, 142, 173, 174, 179, 180, 187, 188, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 251, 261, 240/281, 143, 144, 145, 146, 147, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 164, 262, 154, 155, 167 कुल कित्ता 49 कुल रकबा 13.70 हैक्टियर तथा राजस्व ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 163, 164, 165, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, कुल कित्ता 15 कुल रकबा 2.96 हैक्टियर इस प्रकार दोनों ग्रामों की कुल 16.66 हैक्टियर भूमि पर स्थित निजी खातेदारों की योजना शिव आफोसर्स कॉलोनी का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र, जयपुर में दर्शित ग्रामोण क्षेत्र एवं मिश्रित भू-उपयोग से आवासीय किये जाने हेतु।

प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। विचार-विमर्श पश्चात् इस योजना के ग्रामोण क्षेत्र के आवासीय में भू-उपयोग उपान्तरण तथा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 18 के तहत अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया।



भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 41वीं बैठक दिनांक 13-11-2002 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य सदस्य
3. श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा,जयपुर। सदस्य
4. श्रीमती शुचि शर्मा, अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व, जविप्रा,जयपुर। सदस्य
5. श्री ओ.पी.यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर। सदस्य
6. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,
2. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
5. श्री निरजंन खीचा, उपायुक्त जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती रश्मी गुप्ता, उपायुक्त जोन बी-7, जविप्रा,जयपुर।
7. श्रीमती सुषमा अरोडा, उपायुक्त जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक, जोन सी-1,जविप्रा,जयपुर।
10. श्री हरिप्रसाद, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर।